

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010

दिनांक


- 5 JUN 2020

अधिसूचना

इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.2(30)न्याय/82 दिनांक 21.11.1998 एवं क्रमांक प.1(5)न्याय/2013 दिनांक 12.05.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरणों के मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपर जिला न्यायालय स्तर के जयपुर में सृजित एवं स्थापित न्यायालयों का नाम एवं अधिकारिता क्षेत्र निम्नानुसार परिवर्तित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का पूर्व नाम	न्यायालय का परिवर्तित नाम	बैठक का स्थान	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3	4	
1.	अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीडन प्रकरण, संख्या 1, जयपुर महानगर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीडन प्रकरण, जयपुर महानगर-1	जयपुर	जयपुर राजस्व जिला (न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर-11 के अधीन आने वाले क्षेत्र को छोड़कर)
2.	अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीडन प्रकरण, संख्या 2, जयपुर महानगर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीडन प्रकरण, जयपुर महानगर-11	जयपुर	न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर-11 के अधीन आने वाला क्षेत्र

राज्यपाल के आदेश से,



(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ पुलिस आयुक्त, जयपुर।
9. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम एवं जयपुर महानगर द्वितीय।

10. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट एवं ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।


5.6.2020

(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव